

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक -

अप्रार्थीगण

1 रामुसिंह 2
गणपतसिंह 3 ओमसिंह
4 हरीसिंह पिसरान
दीपसिंह जाति
राजपुरोहित निवासी
रडवा तहसील व
जिला बाड़मेर।


1 कुम्पसिंह पुत्र तिलोकसिंह 2 खंगारसिंह पुत्र जीवराजसिंह 3
बींजराजसिंह पुत्र तिलोकसिंह 4 मूलसिंह पुत्र जीवराजसिंह 5 लाछी
पत्नि तिलोकसिंह उर्फ तिलोका 6 हीरसिंह पुत्र जीवराजसिंह 7
पुरखसिंह पुत्र शिवलालसिंह 8 दरिया कंवर पत्नि शंकरसिंह 9
दिलीपसिंह 10 लालसिंह 11 सवाईसिंह पिसरान शंकरसिंह 12
गीतादेवी पत्नि हीरसिंह 13 डामरसिंह 14 दरिया 15 प्रहलादसिंह 16
मांगीलाल 17 लुणी 18 शैतानसिंह पिसरान प्रभुसिंह 19 सुन्दरदेवी
पत्नी प्रभुसिंह 20 खंगारसिंह पुत्र जीवराजसिंह 21 टीमोदेवी पत्नी
चांदसिंह 22 सरदारसिंह पुत्र बगतावरसिंह 23 कमलसिंह पुत्र
ईश्वरसिंह 24 जतनो पत्नी राजुसिंह 25 ढेलीदेवी पत्नी ईश्वरसिंह 26
लोकेन्द्रसिंह 27 विक्रमसिंह पिसरान ईश्वरसिंह जाति राजपुरोहित
निवासी रडवा तहसील व जिला बाड़मेर 28 तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 209/2025

दिनांक- 25/06/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रडवा पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 159 रकबा 1.6430 हैक्टर, खसरा संख्या 161 रकबा 3.6017 हैक्टर, खसरा संख्या 206 रकबा 0.5261 हैक्टर व खसरा संख्या 454/161 रकबा 1.6754 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी

दिनांक- बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बालेरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण रामुसिंह पुत्र दीपसिंह वगैराह जाति राजपुरोहित निवासी रडवा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण कुम्पसिंह पुत्र तिलोकसिंह वगैराह जाति राजपुरोहित निवासी रडवा तहसील व जिला बाड़मेर।


उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर